

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या
12/19/2023

रजि० नं० 2023/
2023/54

प्रवेश तिथि
30.10.2023

निर्णय दिनांक
25.09.2024

1- जुम्नखा पुत्र सुलतान जाति मेव निवारी ग्राम बसई बीरथल तहसील किशनगढबास जिला
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्त

बनाम

1- नायब तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास किस्म 91
एल.आर.एक्ट मुकदमा संख्या 65/2021 निर्णय दिनांक
15.02.2021

रपरिथत-

01. श्री संजय यादव

-वकील अपीलान्त

-:निर्णय:-

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 65/2021 निर्णय दिनांक 15.02.2021 जिसके द्वारा आराजी खसरा न० 581 रकबा 6.48 है० किस्म चारागाह में से रकबा 0.20 है० में सरसो की फसल काशत कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध मौके से बैदखली /पैलन्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेन्ट को जर्ने नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि ग्राम बसई बीरथल तहसील किशनगढबास की सरकारी गैरमुमकिन चारागाह आराजी खसरा न० 581 रकबा 6.48 है० में से 0.20 है० पर मिन अपीलान्त का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण कब्जा नहीं है, उक्त आराजी मिन अपीलान्त की अभिलिखित कब्जे काशत खातेदारी की आराजी से लगती हुई है। पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये अपीलान्त के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किये अपीलान्त के विरुद्ध नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया गया है। मिन अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है, और न ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बैदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। तहत अदालत द्वारा मात्र पटवारी हल्का के बयान पर बिना निर्णय की प्रमाणित प्रति पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये तीन माह का सिविल


कारावास व अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है। जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया। तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि पटवारी हल्का नयागांव तहसील किशनगढास द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सम्वत 2077 की आराजी खसरा न0 581 रकबा 6.48 है0 में से 0.20 है0 किस्त चारागाह की भूमि पर सरसो की फसल काशत कर पश्चातर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी जुम्नखां के विरुद्ध पेश की गयी, जिस पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को जर्जे नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.02.2021 को नियत की गयी। अतिक्रमी बावजुद नोटिस तामील के नियत तिथी को अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में पुनः अतिक्रमी को जर्जे नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.02.2021 को नियत की गयी। नियत तिथी को भी अतिक्रमी अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली में नियमानुसार विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर निर्णय पारित किया गया है।

वक्त बहस वकील अपीलान्त के अनुरोध किये जाने पर प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है, कि आराजी खसरा न0 581 रकबा 6.48 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.20 है0 ग्राम बसई बीरथल तहसील किशनगढबास पर जुम्नखां ने पूर्व में अतिक्रमण किया हुआ था, वर्तमान में अतिक्रमी का अतिक्रमण नहीं है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है, कि अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्त का कहना है, कि आराजी की पैमाईश करली जावे। 91 एल. आर. एक्ट के तहत सरकारी आराजी की पैमाईश किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि अपीलान्त को चाहिये था, कि वो अपनी आराजी की पैमाईश कराये किन्तु अपीलान्त ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 581 रकबा 6.48 किस्म गैर चारागाह है, जो धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है, ऐसी भूमियों पर किसी को भी अतिक्रमण /आंवटन/नियमन किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत द्वारा प्रकरण में अतिक्रमी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिवत निर्णय पारित कर बैदखली की कार्यवाही तथा अतिक्रमण पश्चातवर्ती साबित होने के कारण अतिक्रमी को तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 न्यायोचित है। अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2021 यथावत रखा जाता है। उनवानी प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.02.2021 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पाठनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवमाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)